न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : विनय पाठक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2015 अपील दायर दिनांक–19.10.2015
निर्णय दिनांक–28.03.2018

श्री भंवरलाल पिता सोमा कलासुआ निवासी बेडसा
तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

श्री सरकार जरिये तहसीलदार, सीमलवाडा तहसील कार्यालय सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956की धारा 75 बनाराजगी निर्णय तहसीलदार, सीमलवाडा के प्रकरण संख्या 124/2014 निर्णय दिनांक 15.04.2015

उपस्थित :

1.श्री नरेश जोशी अभिभाषक वास्ते अपीलान्ट
2.राजकीय पेरोकार, वास्ते रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा मौजा बेडसा (तहसील सीमलवाडा) के आराजी खसरा नम्बर 903/1 किस्म चरागाह कुल रकबा 144.17 बीघा मे से रकबा 4 बीघा भूमि पर परकोटा निर्माण कर अतिक्रमण करने से इस आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का बेडसा एवं गिरदावर हल्का बांसीया से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सीमलवाडा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 124/2014 निर्णय दिनांक 15.04.2015 द्वारा मौजा बेडसा के आराजी खसरा नम्बर 903/1 किस्म चरागाह कुल रकबा 144.17 बीघा में से 4 बीघा भूमि पर बना परकोटा निर्माण कर अतिक्रमण करने से मौके से परकोटा एवं कब्जा हटाने तथा वार्षिक लगान 2.00 रूपया का 50 गुना रूपया 100/–(अक्षरे रूपया एक सौ मात्र) शास्ति आरोपित की जाकर प्रतिवादी से वसूल करने एवं उक्त भूमि पर स्थित वृक्षो की सुरक्षा अपने नियंत्रण मे रखने हेतु ग्राम पंचायत बेडसा को आदेश दिये गये। अपीलान्ट ने उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 को निरस्त करानें हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट ने अपील में इस आशय का उल्लेख किया है कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब मे स्पष्ट उल्लेखित किये जाने पर की पशुओं के हरा चारा तथा वृक्षारोपण को बढावा देने तथा पर्यावरण हित मे वृक्षो को लगाये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

गये तथा उनकी सुरक्षा हेतु परकोटा बनाया गया लेकिन तहसीलदार साहब द्वारा अपीलांट की बात पर विश्वास नही कर विधि की भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा माननीय तहसीलदार सीमलवाडा के समक्ष यह बात भी लाई गई थी कि मौजा बेडसा के खसरा नंबर 579,703,1558,1604,2002,2131,2486,2895,2919, 3142/81 कुल मिलाकर लगभग 525 बीघा चरागाह भूमि है तथा उस पर तो अन्य व्यक्तियो ने पटवारी तथा गिरदावर से मिलीभगत कर मकान बना लिये है लेकिन माननीय तहसीलदार साहब ने उस बात पर गौर नही कर तथा एक मात्र अपीलांट के निर्दोष होने के बावजूद उसे दोषी मानकर विधि की भारी भूल की है। उक्त प्रकरण मे स्पष्ट रूप से रेकार्ड व जानकारी मे होने पर की अपीलांट का अतिक्रमण नही है तथा जिन लोगो का अतिक्रमण है उसकी किसी प्रकार से जांच तहसीलदार साहब सीमलवाडा द्वारा नही कराई गई तथा मात्र अपीलांट को राजनितिक द्वेष के कारण बदनियति पूर्वक फसाया जाने के लिए यह झूठी कार्यवाही की गई थी उस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया जाकर विधि की भारी भूल की है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीमलवाडा का आदेश 15.04.2015 को अपास्त करने का आदेश पारित किया जावे।

अपीलान्ट की ओर से अपील इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार ने उपस्थित होकर अपनी आरे से जवाब पेश नही करना चाहते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजो के आधार पर आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

इस न्यायालय की एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभय पक्ष की समायत की गई।

वकील अपीलांट ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया है कि पशुओं के हरा चारा तथा वृक्षारोपण को बढावा देने तथा पर्यावरण हित मे वृक्षो को लगाये गये तथा उनकी सुरक्षा हेतु परकोटा बनाया गया लेकिन तहसीलदार साहब द्वारा अपीलांट की बात पर विश्वास नही कर विधि की भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा माननीय तहसीलदार सीमलवाडा के समक्ष यह बात भी लाई गई थी कि मौजा बेडसा के खसरा नंबर 579,703,1558,1604,2002,2131,2486,2895,2919, 3142/81 कुल मिलाकर लगभग 525 बीघा चरागाह भूमि है तथा उस पर तो अन्य व्यक्तियो ने पटवारी तथा गिरदावर से मिलीभगत कर मकान बना लिये है लेकिन माननीय तहसीलदार साहब ने उस बात पर गौर नही कर तथा एक मात्र अपीलांट के निर्दोष होने के बावजूद उसे दोषी मानकर विधि की भारी भूल की है। उक्त प्रकरण मे स्पष्ट रूप से रेकार्ड व जानकारी मे होने पर की अपीलांट का अतिक्रमण नही है तथा जिन लोगो का अतिक्रमण है उसकी किसी प्रकार से जांच तहसीलदार साहब सीमलवाडा द्वारा नही कराई गई तथा मात्र अपीलांट को राजनीतिक द्वेष के कारण बदनियति पूर्वक फसाया जाने के लिए यह झूठी कार्यवाही की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

गई थी उस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया जाकर विधि की भारी भूल की है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीमलवाडा का आदेश 15.04.2015 को अपास्त करने का आदेश पारित किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेराकार ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया की अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ मे इस न्यायालय मे ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है जिसके आधार पर अपीलान्ट को बल मिलता हो ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील को निरस्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावें।

इस न्यायालय की पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभयपक्ष की ओर से बहस मे दी गई दलीलों पर गौर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि :–

वकील अपीलान्ट ने अपील की पुष्टि मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति के अलावा ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेज इस न्यायालय मे पेश नही किया गया है जिसके आधार पर अपीलान्ट को कोई बल मिलता हो। अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार सीमलवाडा) द्वारा विधिवत रूप से दोनों पक्षों की उपस्थिति मे विवादग्रस्त भूमि का गिरदावर हल्का बांसिया, धम्बोला एवं पटवारी हल्का से जांच कराकर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसमे भी मौजा बेडसा के आराजी नंबर 903/1 कुल रकबा 144.17 मे 4 बीघा भूमि पर अपीलांट श्री भंवरलाल द्वारा मौके पर परकोटा निर्माण कर अतिक्रमण करना स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार सीमलवाडा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 विधि सम्मत पारित किया गया है। अपीलान्ट यह कहकर अपने विधि विरूद्व कृत्य से नही बच सकता है कि अन्य लोगों ने भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है यह प्रकरण उससे संबंधित है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी जिम्मेदारी से नही बच सकता है। अपीलान्ट ने स्वयं यह माना है कि उसने परकोटा निर्माण किया है। सरकारी भूमि पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के परकोटा निर्माण करना अतिक्रमण है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्ण न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार/खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार सीमलवाडा) द्वारा प्रकरण संख्या 124/14 मे पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। निर्णयानुसार पालना करने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सीमलवाडा को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विनय पाठक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर